बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0, पटना।

इस निगम की स्थापना वर्ष 1978 में बिहार एवं उड़ीसा सहकारी अधिनियम के तहत् अनुसूचित जाति के चतुर्दिक विकास के उद्देश्य से की गई है। कुल 30 जिलों में जिला कार्यालय कार्यरत् है।

इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

निगम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएँ, बैंक संपोषित योजनाएँ एवं राष्ट्रीय निगमों (NSFDC, NSKFDC & NSTFDC) की योजनाओं का कार्यान्वयन करता है।

1. हिस्सापूंजी (Share Capital) :–

निगम की कुल प्राधिकृत हिस्सापूंजी 100.00 करोड़ रू0 है। जिसमें राज्यांश 51% एवं केन्द्रांश 49% का प्रावधान है। अबतक प्राप्त हिस्सापूंजी 28.17 करेाड़ रू0 है जिसमे राज्यांश एवं केन्द्रांश क्रमशः 14.46 तथा 13.71 करेाड़ रू0 है। वर्ष 08–09 मे 100.00 लाख रू0 का स्वीकृति एवं बजट प्रावधान है।

2. निगम का सुदृढ़ीकरण :–

निगम अपनी योजनाओं के प्राप्ति हेतु अधिक से अधिक सक्षम हो सके और राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के विकास हेतु और गतिशील हो सके, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से निगम को ब्लॉक गारंटी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

3 योजना (Project) :–

निगम के द्वारा योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा गठित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के पूर्ण नियंत्रण में किया जाता है एवं योजना के निधि (Fund) का संचालन जिला स्तर पर जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त एवं निगम के जिला कार्यपालक पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा रहा है। संचालित येाजनाएँ निम्नांकित हैः–

(i) अनुदान योजना (Subsidy):–

गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करनेवाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इस येाजना के अंतर्गत बैंको के माध्यम से 35000.00 रू0 तक का ऋण आर्थिक लाभदायक येाजनाओं हेतु दिया जाता है जिसमें येाजना लागत का 50% अधिकतम् 10000 रू0 अनुदान तथा शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

विगत तीन वर्षो में इस योजना से 3109 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है जिसमे कुल 308.28 लाख रू0 व्यय हुए है।

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) नई दिल्ली की येाजना

NSFDC के माध्यम से कम ब्याज पर टर्मलोन की राशि प्राप्त कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक लाभदायक येाजना स्वरूप ऋण उपलब्ध कराया जाता है। NSFDC से प्राप्त टर्मलोन पर लाभार्थियों से ब्याज की दर 4% से 8% तक निर्धारित है एवं मार्जिन मनी ऋण पर ब्याज दर 4% निर्धारित है।

विगत तीन वर्ष में इस येाजना के माध्यम से 106 व्यक्तियों 95.58 लाख रू0 की परिसंपत्ति उपलब्ध करायी गयी है।

(iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की येाजना (NSKFDC) :–

NSKFDC के माध्यम से कम ब्याज दर पर टर्मलोन की राशि प्रापत कर लक्ष्य वर्ग के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमे टर्मलोन की राशि पर लाभार्थियों से ब्याज की दर 4% से 6% तक निर्धारित है। एवं मार्जिन मनी ऋण पर ब्याज दर 4% है।

इस योजना से वैसे व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है जो सफाई कर्मचारी या उनके आश्रितों के श्रेणी में आते है। प्राप्त टर्मलोन पर लाभार्थियों से ब्याज की दर 4% से 6% है एवं मार्जिन मनी पर ब्याज दर 4% निर्धारित है।
विगत तीन वर्षो में इस येाजना के माध्यम से कुल 44 व्यक्तियों को 48.84 लाख रू0 उपलब्ध कराई गयी है।

(iv) महिला समृद्धि योनजा (MSY) :–

अनुसूचित जाति के महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु छोटे–छोटे व्यवसायो में रियायती दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ऋण की राशि 15000. 00 रू0 एवं अनुदान की राशि 10000.00 रू0 निर्धारित है। ऋण राशि पर ब्याज का दर 4% तथा इसकी वसूली 36 बराबर किस्तों मे की जाती है।

अबतक 212 महिलाओं को रोजगार हेतु 53.00 लाख रू0 का वित्तीय लाभ दिया गया है।

(v) **मैनुअल स्केवेजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार येाजना** (SRMS):-

मैनुअल स्केवेंजर्स एवं उनके आश्रितों, उनकी आय चाहे कुछ भी हो, भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी येाजना के तहत् पुनर्वास के लिए जिन्हें ऋण नही दी गई हो, सहायता के पात्र है। येाजना के मुख्य उद्देश्य उन्हें इस पेशे से अलग रखने के लिए एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उददेश्य से विभिन्न व्यवसायों मे प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने की येाजना तथा पुनर्वास की येाजना इस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर चलायी जा रही है जिसमें प्रशिक्षण फीस, वृत्तिका (Stipend-1000.00 रू0 प्रतिमाह) तथा टूलकिट देने का प्रावधान किया गया है जो निगम के द्वारा दी जाती है। मोटर ड्राईविंग, सिलाई कटाई, कम्प्युटर प्रशिक्षण, डाटा इन्ट्री, प्लम्बिंग, मोबाईल रिपेयरिंग आदि जैसे ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें पुनर्वासित करने की भी येाजना है।

इस योजना के तहत् प्रति इकाई 25000.00 रू0 से 5.00 लाख रू0 तक कोई भी आय अर्जित करनेवाली व्यवहारिक योजना ली जा सकती है। 25000.00 रू0 तक के लिए ब्याज दर महिलाओं के लिए 4% तथा अन्य के लिए 5% एवं उससे उपर लागतवाली परियोजना पर 6%। 25000.00 रू0 तक की लागतवाली परियोजना पर Capital Subsidy 50% तथा उससे अधिक लागतवाली परियोजना पर परियेाजना लागत का 25% न्यूनतम् 12500.00 रू0 एवं अधिकतम् 20000.00 रू0 Capital Subsidy देने का प्रावधान है।

अब तक कुल 1903 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है इसके अतिरिक्त और जिलो में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है। 1109 व्यक्तियों को अब तक विभिन्न येाजनाओ के तहत् लाभान्वित किया गया है। जिसमें कुल 246.49 लाख रू0 व्यय किये गए है। वर्ष 2008–09 में 261.07 लाख रू0

राशि प्रशिक्षण मद में प्राप्त हुए हैं। जिला स्तर पर कुल 67.77 लाख रू0 का व्यय हुआ है। वर्ष 2008–09 में 750.00 लाख रू0 राशि पुनर्वास मद में प्राप्त हुए हैं। जिला स्तर पर कुल 212.54 लाख रू0 का व्यय हुआ है।

(vi) सामान्य प्रशिक्षण (General Training) :

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके कौशल विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की योजना निगम द्वारा चलायी जा रही है प्रशिक्षण शुल्क का वहन निगम द्वारा किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वरूप एवं उसके अवधि के अनुसार वृत्तिका (Stipend) का भुगतान भी किया जाता है।

विगत तीन वर्षो में इस येाजना के अन्तर्गत 925 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें 87. 07 लाख रू0 व्यय हुए है। इस वित्तीय वर्ष में सारण तथा वैशाली में कम्प्युटर प्रशिक्षण दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।

4. सहयोग समितियां को प्रदत् वित्तीय सहायता :–

निगम से संबंद्ध 44 सहयोग समितियों को गृह निर्माण, ईट भट्ठा, उपभोक्ता भंडार आदि के संचालन जैसे व्यवसायेां के लिए 52.41 लाख रू0 उपलब्ध कराये गये है यह रशि निगम के आंतरिक कोष से उपलब्ध करायी गई है।

5. भावी योजनाएँ(Feature New Scheme) :

(i)- भूमि कय येाजना (Land purchase Scheme)

राज्य के अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कुल आबादी का 15.7% है जबकि उनके पास राज्य की कुल भूमि का 1% है। राज्य की इतनी बड़ी आबादी अगर पीछे रहेगी तो राज्य के प्रगति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्ताव NSFDC को भेजी गई और उनके द्वारा स्वीकृति भी कर दी गयी है, लेकिन राज्य सरकार के ब्लॉक गारंटी के अभाव में राशि उपलब्ध नही करायी गई है।

विगत वर्ष इसके अतिरिक्त लघु ऋण योजना, कृषि उपकरण ऋण (ट्रैक्टर, पावर टिलर) तथा परिवहन क्षेत्र में विभिन्न येाजनाओं के लिए NSFDC के द्वारा कुल 37.51 करेाड़ रू0 का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष भी उनके द्वारा 16.21 करोड़ रू0 का ऋण स्वीकृति किया गया है लेकिन राज्य सरकार के ब्लॉक गारंटी के अभाव में राशि विमुक्त नही हो पा रही है।

(ii)- शिक्षा ऋण (Education Loan) :–

अनुसूचित जाति के सदस्य जो आर्थिक विपन्नता के कारण तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त नही कर पाते है उन्हें सस्ते ब्याज पर शिक्षा ऋण येाजना संचालित करने का प्रस्ताव है।

(iii)- विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण योजना (Training under different Scheme) :–

वर्तमान भू मंडलीकरण (Globalization) एवं Computerization के दौर में सेवा के क्षेत्र में काफी संभावनाये बढ़ी है। इसके लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों को विभिन्न ट्रेडों में यथा

कम्प्यूटर कोर्स, ड्राईविंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लमबिंग, कॉरपेन्ट्री, मोबाईल रिपेयरिंग, गारमेन्टी एवं टेलरिंग आदि में प्रशिक्षित कर आत्म निर्भर बनाना भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कारगर होगा।

6– वसूली (Recovery) :–

राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त ऋण राशि के विरूद्व वसूली 9.00 करोड़ रूपये हुए है। ऋण वसूली में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये है :–

i- सभी जिला में वसूली दल का गठन किया गया है एवं वसूली का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। एक लाख रूपए से अधिक बकायेदार ऋर्णियों की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है।

ii- जिन ऋर्णियों के द्वारा लम्बे समय से किस्त की राशि जमा नहीं किया जा रहा है उनके जमानतदारों से वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

iii- जानबुझकर किस्त खिलाफ (Willful defaulter) के विरूद्व निलाम पत्र दायर करने एवं परिसम्पतियों के निलामी की कार्रवाई भी की जा रही है।

iv- जो निगम कर्मी ऋण वसूली में उदासीनता एवं कोताही बरत रहे है, उनके उपर भी कार्रवाई की जा रही है।

v- निगम मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक माह वसूली की समीक्षा की जाती है एवं समय–समय पर दिशा–निर्देश भी दिये जाते है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय से पदाधिकारी जिलों में जाकर भी समीक्षा करते है।